***प्रेस नोट*** ***07/09/2024***

**जनपद मऊ साईबर पुलिस टीम द्वारा 100635 रुपये कराया गया वापस–**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में साईबर अपराध रोकथाम के लिए चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्री के पर्वेक्षण में क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में साईबर पुलिस टीम द्वारा आवेदिका रोमा प्रिया पत्नी शोभित श्रीवास्तव निवासी सहादतपुरा थाना कोतवाली जनपद मऊ के क्रेडिट कार्ड के ACTIVATION के नाम पर फ्राड काल कर APK फाइल इन्सटाल कराकर क्रेडिट कार्ड को अपडेट करने के नाम पर वादिनी के खाते से कुल 100635 रुपये फ्राड कर लिया गया । जिसमे आज दिनांक 07.09.2024 को त्वरित कार्यवाही करते हुए साइबर क्राइम थाना जनपद मऊ टीम द्वारा फ्राड हुये कुल 100635 रुपये को पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से वादिनी के खाते मे पुनः वापस कराया गया। शिकायतकर्ता रोमा प्रिया द्वारा मऊ पुलिस तथा थाना साइबर क्राइम टीम की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया।

**जागरुकता- APK फाइल की पहचान-**

बनाई गई APK फाइल वैलिड प्रतीत नहीं होती है और इसका साइज केवल कुछ KB हो सकता है। एक बार इंस्टॉल होने के बाद APK कैमरा, माइक्रोफोन, जीपीएस, संपर्क, एसएमएस और बहुत कुछ सहित कई प्रकार के परमिशन की मांग करता है।

यह एक बड़ा खतरा है और यदि यूजर्स ने ऐसा कोई प्रोग्राम इंस्टॉल किया है, तो इसे तुरंत हटा दिया जाना चाहिए।

यूजर्स फोन को नियमित रूप से रीबूट करें और किसी भी बैकग्राउंड ऐप्स को हटा दें।
व्हाट्अप /सोशल मीडिया या मैसेजिंग ऐप्लीकेशन के जरिए APK फाइल इन्सटाल करने से बचे।

यदि आप किसी फ्राड के शिकार हो गए हैं तो इसकी शिकायत आप अपने नजदीकी साइबर क्राइम थाना/सेल में तत्काल करें या https://www.cybercrime.gov.in/ पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें या 1930 पर साइबर क्राइम हेल्पलाइन से संपर्क कर भी शिकायत कर सकते है।

**साइबर क्राइम थाना टीम-**

प्रभारी निरीक्षक श्री हरेन्द्र यादव
मुख्य आरक्षी शैलेन्द्र कुमार कन्नौजिया
आरक्षी अर्वेन्द्र प्रताप मिश्र
आरक्षी शशिकान्तमणि त्रिपाठी
आरक्षी प्रदीप पटेल
आरक्षी प्रभात कुशवाहा
आरक्षी अनूप यादव

**फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर पैसा लेने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे सेबरामद 0रू 12000 –**
श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्रि के पर्वेक्षण में तथा श्रीमान् क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में थाना दक्षिणटोला पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब आज दिनांक 07.09.को 2024 जरिये मुखबिर सूचना मिला की मिर्जाहादीपुरा में कुछ दिन पहले जो एक व्यक्ति फर्जी पुलिस वाला बनकर जनता के एक व्यक्ति को धोखे में रखकर उससे ,ले लिया था 0रू 19000 वह व्यक्ति आज फिर किसी घटना को अंजाम देने के लिए कोपांगज से बरलाई आने वाली रोड पकड़कर बरलाई मोड़ की तरफ आ रहा हैरैनी गांव के पास पहूंच कर आने जाने वाले वाहनो की सघनता से चेकिंग की , जाने लगी कि कोपागंज की तरफ आते हुए एक मोटर साइकिल को चेकिंग के लिए रोका गया तो मोटर साइकिल चला रहा व्यक्ति मोटर साइकिल लेकर रैनी गांव की तरफ भागने लगा कि कुछ दूर जाते जाते पुलिस टीम द्वारा पकड़ लिया गया । पकड़े गये व्यक्ति ने अपना नाम अवधेश यादव पुत्र मुखराम यादव निवासी मोजरापुर थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ बताया तथा जामा तलाशी से अभियुक्त के पास से व 0रू 12000 बरामद पैसे के सम्बन्ध में पूछने पर पकड़े गये व्यक्ति ने बताया ,पुलिस का एक फर्जी आईकार्ड बरामद हुआ है 08 कि उसने दिनांक.08.को मिर्जाहादीपुरा से कुछ दूर आगे एक व् 2024यक्ति से फर्जी पुलिस वाला बनकर उससे मिले है। 0रू 12000 में से कुछ पैसे खर्च हो गये है जो 0रू 19000 ले लिए थे तथा उस 0रू 19000 के शेष पैसे है। पकड़े गये व्यक्ति के पास बरामद पैसे के सम्बन्ध में पूर्व में थाना स्थानीय 0रू 19000 वह उसी 140 0सं0अ0पर मु/2024 धारा 319(2)/318/(4)/336(3) बीएनएस पंजीकृत है। उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

**पंजीकृत अभियोग**–

1. मु140 0सं0अ0/319 धारा 2024(2)/318/(4)/336(3) बीएनएस थाना दक्षिण टोला मऊ

**बरामदगी–**

1. अभियुक्त द्वारा फर्जी पुलिस वाला बनकर लिए गये रू0रू 12000 मे से शेष बचे 0रू 19000 0।
2. पुलिस का फर्जी आईकार्ड।

**आपराधिक इतिहास.....**

1. मु200 0सं0अ0/3 धारा 2020/आर्म्स एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ 25।
2. मु140 0सं0अ0/319 धारा 2020(2)/318/(4)/336(3) बीएनएस थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ।

**गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–**

1.उ रामाज्ञा कुमार थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ 0नि0

2.हे महेन्द्र कुमार 0का0थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ

3.का मित्रसेन यादव 0थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ

4.संजय साहनी थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ

**05 गांजा तस्कर गिरफ्तार कब्जे से 7.750 किलोग्राम अवैध गांजा व 4500 रुपये बरामद–**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/आपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्री के पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी मधुबन के नेतृत्व में थाना मधुबन पुलिस को उस समय अहम सफतला हाथ लगी जब दिनांक 07.09.2024 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर भैरोपुर चट्टी बंधा रोड के पास से अभियुक्तगण अभिराम पाण्डेय पुत्र स्व0 रामनगीना पाण्डेय निवासी गुरैनी डवरिया थाना धानापुर जनपद चन्दौली, मुन्ना तिवारी पुत्र नन्दजी तिवारी निवासी उजियार घाट थाना नरही जनपद बलिया, अखण्ड प्रताप पटेल पुत्र रामबचन पटेल निवासी हसनपुर थाना रामपुर जनपद मऊ, राहुल कुमार पुत्र जयप्रकाश निवासी इब्राहिम पट्टी थाना भीमपुरा जनपद बलिया, वीरबहादुर पुत्र स्व0 सप्तमी निवासी मखमेलपुर थाना मधुबन जनपद मऊ के कब्जे से 7.750 किलोग्राम अवैध गांजा 4500 रुपये तथा 05 मोबाईल फोन बरामद कर गिरफ्तार किया गया। उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 254/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

**गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण-**

1. अभिराम पाण्डेय पुत्र स्व0 रामनगीना पाण्डेय निवासी गुरैनी डवरिया थाना धानापुर जनपद चन्दौली।
2. मुन्ना तिवारी पुत्र नन्दजी तिवारी निवासी उजियार घाट थाना नरही जनपद बलिया।
3. अखण्ड प्रताप पटेल पुत्र रामबचन पटेल निवासी हसनपुर थाना रामपुर जनपद मऊ।
4. राहुल कुमार पुत्र जयप्रकाश निवासी इब्राहिम पट्टी थाना भीमपुरा जनपद बलिया।
5. वीरबहादुर पुत्र स्व0 सप्तमी निवासी मखमेलपुर थाना मधुबन जनपद मऊ।

**बरामदगी-**

1. किलोग्राम अवैध गांजा।
2. 4500 रुपये।
3. 05 मोबाईल फोन।

**गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–**

प्र0नि0 संजय कुमार त्रिपाठी, अपराध निरीक्षक विजय प्रताप सिंह, उ0नि0 संजय कुमार उपाध्याय, उ0नि0 दुर्गेश कुमार,का0 पंकज यादव,का0 सूरज,का0 शमसेर कुमार,का0 आनंद कुमार राव,का0 मनीष मौर्या।

**एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–**

आज दिनांक 07.09.2024 को थाना कोपागंज पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर कसारा मोड़ के पास से मु0अ0सं0 234/2024 धारा 3(5),352,351(2),131,64 बीएनएस में वांछित अभियुक्त अंकित यादव पुत्र श्यामवली यादव निवासी मूंगमास मठिया थाना कोपागंज जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।